<u>विधानसभा / महत्वपूर्ण</u>

कार्यालय संचालक
संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

ब्लॉक–2, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
(Telephone-0771-2511974, email- dirfood.cg@gov.in, website- www.fcs.cg.gov.in)

क्रमांक 80 / संचा.–वि.स. / 2026 नवा रायपुर, दिनांक 30/ 6 / 2026

प्रति,

नियंत्रक,
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
इंद्रावती भवन, नवा रायपुर

विषय :–विधानसभा प्रश्न कमांक 805 तारांकित द्वारा श्री द्वारिकाशीध यादव, सदस्य विधानसभा की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत्।

कृपया विषयांतर्गत विभाग से प्राप्त विधानसभा प्रश्न क्रमांक 805 तारांकित की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त विधानसभा प्रश्न का उत्तर 'यूनिकोड फॉन्ट' में (परिशिष्टों की जानकारी भी 'यूनिकोट फॉन्ट' में) **दिनांक 02.07.2026** तक ई–मेल (dirfood.cg@gov.in) के माध्यम से हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी सहित अनिवार्य रूप से भिजवाने का कष्ट करें। विधानसभा प्रश्न विभागीय वेबसाईट से भी डाउनलोड किये जा सकते है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

सहायक संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर

छत्तीसगढ विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : **10/07/2026**

वर्ग : 5 सदन में उत्तर देने का दिनांक : **17/07/2026** विभाग का नाम : **खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण**

विषय : **छत्तीसगढ़ के विभिन्न होटल, रेस्टोरेंट एवं मिठाई दुकान की जांच**

(**तारांकित** प्रश्न क्रमांक : **805**) **श्रीद्वारिकाधीश यादव**

क्या **खाद्य मंत्री** महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी, 2025 से 20 जून, 2026 तक विभिन्न होटलों ,रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानों सहित अन्य संस्थानों पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच कितनी बार की गयी ? जिलावार बतायें ? उक्तावधि में कितने प्रकरणों में खाद्य नमूने अमानक स्तर के पाए गए और उन पर क्या कार्यवाही की गई ? प्रकरणवार, जिलावार बताएं ? (ख) क्या विभाग/ शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि खाद्य पदार्थों के विक्रय करते समय डिब्बों, पैकेट, कंटेनर का वजन खाद्य पदार्थों के वजन में शामिल कर उपभोक्ता को आर्थिक हानि पहुंचाई जाती है ? यदि हां, तो इसे रोकने हेतु क्या कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है ?

उत्तर :

खाद्य सुरक्षा
विभाग से संबंधित